ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-7* August- 2021
Innovation The Research Concept

महिला सुरक्षा: कानून के परिप्रेक्ष्य में

Women's Safety: In The Perspective of The Law

Paper Submission: 10/08/2021, Date of Acceptance: 23/08/2021, Date of Publication: 24/08//2021

शकीला नकवी
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, टोंक
राजस्थान, भारत

भारतीय संविधान के अुनसार महिलाओं को भी पुरूष के समान स्वतंत्र और गौरवमयी जीवन जीने का अधिकार हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में महिला सुरक्षा, सम्मान, विकास और भेदभाव से बचाव के प्रावधान किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 और 42 में महिला कल्याण की विशेष व्यवस्था हैं। संविधान के अनुच्छेदों को व्यावहारिक बनाने के लिए 50 से अधिक कानू लागू हो चुके हैं। एक महिला कानूनी रूप से तो अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुरक्षित है किन्तु व्यावहारिक रूप में उतनी सुरक्षित नही हैं।

According to the Indian Constitution, women also have the right to live a free and proud life like men. In the Preamble, Fundamental Rights and Directive Principles of the Indian Constitution, provisions have been made for women's safety, respect, development and protection from discrimination. Article 14, 15, 16, 39 and 42 of the constitution have special provisions for women's welfare.More than 50 laws have been implemented to make the Articles of the Constitution practical. A woman is legally very powerful and safe but not as safe in practice.

मुख्य शब्दः मेंजेण्डर, व्यवसाय, ब्लॉक समिति, क्रेच, पैनल, कोड आर्किटेक्ट, रेस्टोरेण्ट, पब्लिक रिसोर्ट एवं प्रावधान।

Mentor, Business, Block Committee, Creche, Panel, Code Architect, Restaurant, Public Resort and Provision

प्रस्तावना

यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता" जैसे श्लोक में मनु ने नारी को सम्मानित स्थान दिया है। जब मनु कहते है कि महिला को जीवन की किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। बचपन में वह पिता की अधीनता में, जवानी में पति की अधीनता में और बुढ़ापे में पुत्र की अधीनता में रहनी चाहिए तब वह महिला की सुरक्षा की दृष्टि से ही ऐसा कहते है। महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानन्द का कथन है-

"विश्व कल्याण बिना महिला सुधार के संभव नहीं है यह संभव नहीं है कि चिड़िया केवल एक ही पर से उड़ जाए, संपूर्ण विकास तभी संभव हैं जब विकास की नीतियों में जेण्डर के मुद्दे को ध्यान में रखा जाए। मानव विकास के संकेतकों जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सहभागिता इत्यादि में महिला और पुरूष दोनों को अवसर प्राप्त हो। तभी प्रगति सुनिश्चित हो पायेगी।[1]

भारतीय संविधान निर्माता इस तथ्य से वाकिफ थे कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता। उस समाज का शीघ्र पतन निश्चित है। इसिलिए हमारे संविधान में नारी को आदरपूर्ण स्थान प्रदान किया है।

अध्ययन का उद्देश्य

अब तक महिला के विभिन्न पक्षों पर काफी अध्ययन हो चुका हैं, किन्तु महिला सुरक्षा को कानूनी परिप्रेक्ष्य में अध्ययन की दृष्टि से यथोचित स्थान नहीं मिला हैं। अतः मैनें महिला सुरक्षा के कानूनी परिप्रेक्ष्य को उजागार करना अत्यन्त आवश्यक समझा। केवल भारतीय संविधान में महिला सुरक्षा तक ही अध्ययन सीमित रखा।

भारतीय संविधान में महिला सुरक्षा की परिभाषा

भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरूष के समान स्वतंत्र और गौरवमयी जीवन जीने का अधिकार हैं। पूरे संविधान में स्त्री-पुरूष का भेद किये बिना प्रत्येक स्थान पर उसे बराबरी का दर्जा दिया गया है।

संविधान में पुरूषों के साथ महिलाओं को भी 6 मौलिक अधिकार दिए गए है। जिसमें राज्य के हस्तक्षेप से भी रक्षा की गई है।[2]

लैंगिक समानता का सिद्धान्त भारतीय संविधान के मूल तत्वों में सम्मिलित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में महिला सुरक्षा, सम्मान, विकास और भेदभाव से बचाव के प्रावधान किए गए है। अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अन्तर्गत लिंग समानता, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और आदर के साथ कार्य करने का अधिकार देता हैं।

भारतीय संविधान में महिला सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 और 42 महिला सुरक्षा और महिला विकास की बात करता हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष महिलाओं को समानता का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रावधान करने को भी कहता है। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के

नाम पर भेदभाव नहीं करेगा।[3]

अनुच्छेद15(2) में कोई भी नागरिक धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अन्य नागरिक को अयोग्य घोषित नहीं करेगा और प्रतिबंध नहीं लगायेगा।

(अ) दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेण्ट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर।

(ब) कुओं, टैंको, स्नानघरों, सड़कों और पब्लिक रिसोर्ट के स्थानों को राज्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सहायता देगा और भेदभाव रोकेगा।

अनुच्छेद 15(3) में महिला और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने को कहा गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था इस उपबंध में है।

अनुच्छेद 15(4) की धारा और धारा 29 (2) में राज्य को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भलाई के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जायेगा अर्थात राज्य को उनकी भलाई के लिए कार्य करने को कहा गया है।

हम देखते हैं कि महिला को संविधान में न केवल समानता बल्कि विशेष सुविधाएँ भी दी गई है। महिला संविधान एवं अन्य कानूनों के द्वारा देश के नागरिकों को प्राप्त संरक्षण एवं लाभों की समान रूप से हकदार है। अपितु उसकी विशेष स्थिति और आवश्यकताओं को देखते हुए उसके लिए विशेष प्रावधान भी किए गये।

अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की बात की गई।

अनुच्छेद 19(1) में स्त्री, पुरूष दोनों को समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता दी गई है।4 महिला स्वतंत्र रूप से भारत के क्षेत्र में आवागमन, निवास और व्यवसाय कर सकती है। स्त्रीलिंग होने के कारण किसी भी कार्य से उसको वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया।

अनुच्छेद 21 में स्त्री व पुरूष दोनों को प्राण व दैहिक स्वाधीन से वंचित न करने की बात कही हैं।5

अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरूद्व अधिकार दोनों को समान रूप से प्राप्त है। यह अधिकार स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार, दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता स्त्री व पुरूष दोनों को समान रूप से प्रदान करता है।6

अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दोनों को प्रदत्त करता है।

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों की अधिकार दोनों को उपलब्ध कराता है।

अनुच्छेद 39(क) के अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरूष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 39(घ) में पुरूष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है।

अनुच्छेद 39(ड.) में ऐसी व्यवस्था हैं कि पुरूष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता में विवश होकर ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकुल ना हों।

अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों चरणों पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका में भी 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।7

अनुच्छेइ 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 42 में राज्य काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर व लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है।

अनुच्छेद 51(क)(3) में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्व हों।8

अनुच्छेद 33(क) में प्रस्तावित 84 वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।9

अनुच्छेद 332(क) में प्रस्तावित 84 वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।10

संविधान के भाग चार में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में महिलाओं के लिए कई विशेष उपबंध किये गये है।11

अनुच्छेद 325 निर्वाचक नामावली मे महिला और पुरूष दोनों के समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार देता है। समान मतदान का अधिकार दिया है।

अनुच्छेद 21 प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति के उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा सीमित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा। यह अधिकार सभी अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ है। यह विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरूद्व संरक्षण प्रदान करता है।12

उच्चत्तम न्यायालय ने इस अधिकार की विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने दैहिक स्वतंत्रता में वे सभी तत्व सम्मिलित किए हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को उसके निजी जीवन में किसी भी प्रकार के अप्राधिकृत हस्तक्षेप एवं मनोवैज्ञानिक अवरोधों के विरूद्व संरक्षण प्रदान करता है। प्राण का अर्थ केवल जीवन ही नहीं है, अपितु सीमाओं और सुविधाओं तक फैला है जिनके द्वारा जीवन का उपभोग किया जा सकता है। यह अनुच्छेद शरीर के अंग भंग का भी निषेध करता है।

महिला सुरक्षा हेतु अधिनियम के सूत्र

महिला सुरक्षा के लिए 1956 से अब तक दहेज, घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर हिंसा, यौन हिंसा इत्यादि से संबंधित 50 से भी अधिक कानून बन चुकें है।

भारतीय दंड सहिता मे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों अर्थात् हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, दहेज, मृत्यु, बलात्कार, एवं अपहरण आदि को रोकने का प्रावधान है। इसके उल्लंघन पर गिरफ्तारी एवं न्यायिक दण्ड व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

महिला सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कानून

सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 -

महान समाज सुधारक राजाराम मोहन राय के अथक प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया। भारत सरकार ने 1987 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया।13

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

इसमें महिलाओं को पिता की जायदाद में

हिस्सा दिया गया। इस अधिनियम मे मृतक के उत्तराधिकारियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। 2005 में इसमें संशोधन किया गया कि संपत्ति के मामले में पुत्रियों को भी बराबर का हक प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के तहत 9 सितम्बर 2005 को जीवित कर्त्ताओं की जीवित पुत्रियों को सम्पत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार है। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि ऐसी पुत्रियों का जन्म कब हुआ।14

न्यूनतम मजदूरी कानून 1948

इस कानून के द्वारा कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण होता है यह अधिनियम सरकार को प्राधिकृत करता है कि विनिर्दिष्ट रोज़गारों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करें। इसमें उपयुक्त अन्तरालों और अधिकतम पाँच वर्ष के अन्तराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961 -

महिला को दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से बचाने के उद्देश्य से पारित किया। 1986 में इसे संशोधित कर समय के अनुरूप एवं व्यावहारिक बनाया।

प्रसूति हित लाभ अधिनियम, 1961

इस कानून से मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा होती है। यह एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। इसके तहत् कामकाजी महिलाओं को दो बच्चों के लिए मात्त्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह की गई हैं। 'कमिशनिंग मदर' और 'एडाप्टिंग मदर' को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलेगा और घर से काम करने की सुविधा दी गई। इसके साथ ही 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच का अनिवार्य प्रावधान किया गया है।

महिला अपने बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने तक 2 वर्ष तक की Child care leave या बाल देखभाल अवकाश ले सकती है।

पहले गर्भावस्था में मादा भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता था। लिंग परीक्षण को रोकने प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 क्रियान्वित किया गया। इसका उल्लंघन करने वाले को 10-15 हजार का रूपये का जुर्माना तथा 3-5 साल की सजा का प्रावधान किया गया।

भारतीय दंड सहिता कानून महिलाओं को सुरक्षा देता है जिसमें वे समाज में घटित होने वाले अपराधों में सुरक्षित रह सकें।

भारतीय दंड सहिता 1973 में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है।

इंडियन पैनल कोड 1972 महिला उत्पीड़न और शोषण पर दण्ड का प्रावधान है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अन्तर्गत प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी किसी मामले में गवाही देने के लिए किसी महिला या बच्चे को थाने में नहीं बुला सकता है, बल्कि उसके निवास स्थान पर जाकर बयान दर्ज करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं को गवाही के लिए थाने में बुलाना, अपराध घटित होने पर उन्हें गिरफ्तार करना, महिला की तलाशी लेना और उसके घर की तलाशी लेना आदि पुलिस प्रक्रियाओं को इस संहिता में वर्णित किया गया है।

1970 में ठेका श्रम अधिनियम में यह प्रावधान है कि महिलाओं से एक दिन में मात्र 9 घंटे ही कार्य लिया जाये।

अनुच्छेद 39(घ) को लागू करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया।

1979 में अंतराज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत विशेष नियोजनों में महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय एवं स्नानगृहों की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 304, 306, 313, 314, 315, 316, 318, 354, 363, 364, 366, 371, 372, 373, 376, 405, 406 इत्यादि अनगिनत धाराओं में स्त्री सुरक्षा से संबंधित प्रवाधानों की विस्तार से व्याख्या की गई है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में अधिनियम की परिभाषा, महिलाओं के प्रति की जाने वाली विभिन्न हिंसा के प्रकारों एवं समाधान का विस्तार से विवेचन किया गया।15

13 अगस्त, 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए।16

23 अप्रेल, 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून एक ऐतिहासिक कानून है। यह 9 अध्यायों में विभक्त है।17 यह अधिनियम महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तारपूर्ण व्याख्या करता है और महिला को एक नागरिक के रूप में समान सुरक्षित और निरापद वातावरण में कोई भी व्यवसाय या कार्य करने का संवैधानिक अधिकार देता है। इस कानून के लागू होने से विभिन्न कार्यो में महिलाओं की सकारात्मक भागीदारी बढ़ी है।

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 इत्यादि अनेक अधिनियम महिला को पुरूष के समान सुरक्षा देते है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेदों में महिला कल्याण एवं महिला सुरक्षा की बात कहीं है। इन अनुच्छेदों के आधार पर सैकड़ों कानून बन चुकें हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से तो नारी सशक्त, सुरक्षित एवं महान है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से नारी 21 वीं सदी में भी कहीं सुरक्षित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में पुरूषों के समान भागीदारी करने वाली महिला को आज भी समाज में यथोचित स्थान नहीं मिला हैं जबकि महिलाएँ इस समाज की वास्तविक आर्किटेक्ट है और महात्मा गांधी ने कहा है "आत्म नियंत्रण की शक्ति से, कष्ट सहन करने की शक्ति से और मेहनत की दृष्टि से नारी पुरूष से आगे है। वह किसी भी प्रकार से पुरूष से हीन नहीं है, यदि भविष्य अंहिसा की ओर अग्रसर है तो भविष्य नारी के हाथ में है। यदि भविष्य नारी के हाथ में है तो हमें नारी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। उसे देवी बनने की कोई चाह नहीं है। केवल इंसान मान ले तो अच्छा है और समाज में उचित स्थान मिले।"

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *लवानिया, डॉ एम.एम. ; भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिचर्स पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2013, पृष्ठ 118।*
2. *उपर्युक्त, पृष्ठ 43 एवं जैन, डॉ. पुखराज, भारतीय राज व्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2012, पृष्ठ 127।*
3. *उपर्युक्त, पृष्ठ 127।*

4. जैन, डॉ. पुखराज, भारतीय राज व्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2012, पृष्ठ 128।
5. उपर्युक्त, पृष्ठ 130।
6. उपर्युक्त, पृष्ठ 133।
7. उपर्युक्त, पृष्ठ 134।
8. उपर्युक्त, पृष्ठ 139।
9. बासु, डॉ. दुर्गादास, भारत का संविधान, लेक्सिज नेक्सिज, 2013।
10. उपर्युक्त।
11. उपर्युक्त।
12. उपर्युक्त।
13. लवानिया, डॉ एम.एम. ; भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिचर्स पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2013, पृष्ठ 116।
14. डी.एम. चौधरी, द हिन्दू सेक्शन एक्ट, पृष्ठ 10-11।
15. घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण कानून 2005, पृष्ठ 1-10 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण कानून 2005, कानून व प्रक्रिया, हिन्दी अनुवाद, विविधा-महिला आलेखन एवं सन्दर्भ केन्द्र, जयपुर, 20.10.2007, पृष्ठ 1-41।
16. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित मार्गदर्शिका, सिकोईडिकोन टोंक, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश, पृष्ठ 1-12।
17. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण कानून 2013) 23 अप्रेल, 2013, पृष्ठ 1-12।